

काण्डा- जेठाई मोटर मार्ग - 4.00 किमी०

(प्रस्ताव संख्या 9465/2015)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं।
15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	ऑन-लाइन प्रस्ताव में पूर्व में पार्ट-2 Blank होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 1996/12-1 दिनांक 26.02.2015 द्वारा प्रेषित आपत्ति के निराकरण के साथ प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 2984/12-1 दिनांक 03.2014 से प्रभावित होने वाले वृक्षों की वास्तविक संशोधित संख्या सूचित की गयी है। इस प्रकार इस संशोधित Girth Classwise सूचना के साथ प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की जाती है। इस कार्यालय की आपत्ति व इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त संशोधित सूचना की प्रति संलग्न की जा रही है (संलग्न 1 से)।
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने वाले 0-10 व 10-20 व्यास श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक:- 26.03.2015

स्थान:- अल्मोड़ा।

(संतोष विजय शर्मा)

वन संरक्षक

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

"उत्तराखण्ड वन सदैव आपके संग"

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष नं०:- 05963-220249 फैक्स नं०:- 05963-220209

पत्रांक 2984 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 18/03 / 2015
सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त
उत्तराखण्ड अल्मोडा।

विषय :- काण्डा जेठाई से गुरना दफौट मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव।
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक क 2094/12-1 (2) दिनांक 07.03.2015 तथा इसका प्रतिका का
महोदय, पत्रांक 2952/12-1-2 दि० 13-03-2015 का संशोधन।

उक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत काण्डा जेठाई से प्रस्ताव (आन लाइन प्रस्ताव) में इस वन प्रभाग से चीड़ प्रजाति के वृक्षों को पार्ट-2 में (Girth Class wise) निम्नानुसार दर्शाये गये विवरण में हुयी त्रुटियों पर संशोधन करने बावत् लिखा गया है। जो निम्न प्रकार है-

01-10	व्यास श्रेणी	-	1
10-20	व्यास श्रेणी	-	3
20-30	व्यास श्रेणी	-	7
30-40	व्यास श्रेणी	-	13
40-50	व्यास श्रेणी	-	2
50-60	व्यास श्रेणी	-	6
60-70	व्यास श्रेणी	-	2

उक्त व्यास वर्ग के वृक्षों को पार्ट-2 में निम्न प्रकार दर्शाया जाना है।

31-60 सेमी0	गोलाई	-	3
61-90 सेमी0	गोलाई	-	7
91-120 सेमी0	गोलाई	-	13
121-150 सेमी0	गोलाई	-	2
151 सेमी0 180	गोलाई	-	6
181 से ऊपर	गोलाई	-	2

इसके अतिरिक्त पार्ट-2 में ऑनलाईन एस0आई0आर0 रिपोर्ट श्री संलग्न कर दी गई है।
अतएव अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित।

भवदीय
(एम0बी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।